न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 16/2019 (2019/00131)

1. सुरेश दत्तक पुत्र रामगोपाल जाति खाती निवासी जाल का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. सीमा पत्नि शंकर जाति खाती निवासी अजमेर रोड आदर्श कॉलोनी सरवाड तहसील सरवाड जिला अजमेर
2. शंकर पुत्र रामगोपाल जाति खाती निवासी अजमेर रोड आदर्श कॉलोनी सरवाड तहसील सरवाड जिला अजमेर
3. बदाम पत्नि प्रहलाद खाती
4. प्रहलाद पुत्र लादू खाती
5. विमला पत्नि कैलाश खाती
6. कैलाश पुत्र लादू खाती
7. सोना पत्नि देवीलाल खाती
8. देवीलाल पुत्र छीतर खाती

   समस्त जाति खाती निवासीगण गोरधनपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर
9. मोना पत्नि मुकेश खाती निवासी जोतायां तहसील टांटोटी जिला अजमेर
10. मुकेश पुत्र राधेश्याम जाति खाती निवासी जोतायां तहसील टांटोटी जिला अजमेर
11. रामप्यारी पत्नि रामगोपाल जाति खाती निवासी जाल का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—— अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री मदनगोपाल चौधरी – अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुनिल शर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

—:: निर्णय ::—

दिनांक 10.04.2023

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय में पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र संख्या 95/18 उनवान सुरेश बनाम सीमा वगैरह में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2018 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा ग्राम जाल का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जगाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खसरा नम्बर 595 रकबा 0.41 हैक्टर , खसरा नम्बर 599 रकबा 0.04 हैक्ट, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.21 हैक्ट, खसरा नम्बर 601 रकबा 2.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 602 रकबा 2.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.70 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 6.47 हैक्टर भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

आगामी पेशी तक प्रार्थी के कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को पावन्द किया गया था जो प्रभावी है तथा इसकी जानकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 को है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी को हांक बांक कर तैयार कर रखा था। बरसात आते ही बुआई करनी थी। बरसात होने के बाद अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 ने खुल्लमखुला माननीय न्यायालय के अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 16.07.2018 की अवज्ञा एवं अवहेलना करके प्रार्थी द्वारा काश्त हेतु तैयार की गई आराजी खसरा नम्बर 595, 599, 600, 601, 602, 603 में जबरन कब्जा करके प्रार्थी को कतई बैदखल करने की नियत से दिनांक 23.06.2019 को जबरन ट्रेक्टर से फसल ज्वार, मूंग, मक्का, उडद काश्त कर दी। प्रार्थी ने मौके पर जाकर मना किया तथा माननीय न्यायालय के अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 16.07.2018 को बताया तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा एवं मारपीट करने पर उतारू हो गये एवं प्रार्थी को धमकी दी कि न्यायालय के ऐसे आदेश बहुत सारे होते है, ऐसे आदेश को जेब में रखते है, यहां तो हमारा आदेश चलेगा हम इसे नही मानते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने बावजूद अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के आराजी में प्रवेश करके बीज बुआई करके माननीय न्यायालय के आदेश की अवज्ञा एवं अवहेलना जानबूझकर की है जो दण्डनीय है। अतः अप्रार्थीगण को सिविल कारावास से दण्डित किये जाने एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात में से अप्रार्थीगण को बैदखल किये जाने एवं बाई गई फसल को प्रार्थी को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण 1 व 3 लगायत 11 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश हुआ।

अप्रार्थीगण 3 लगायत 11 के जवाब अनुसार प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या में वर्णित तथ्यों के संबंध में प्रार्थी ने मिथ्या वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी ने वल्दियत गलत लिखी है। गोदनामा बाबत वाद विचाराधीन है। पेरा संख्या 2 से 6 गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। साथ ही निवेदन किया है कि दिनांक 16.07.2018 को न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश दिया गया था। दिनांक 22.10.2018 को न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश की आदेशिका को निरस्त कर दिया गया था और दिनांक 07.09.2018 से न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नही है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का न तो कब्जा था और न ही वर्तमान में कब्जा है अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेश की अवज्ञा नही की है। प्रार्थी को प्रार्थनापत्र पेश करने का कोई मूल कारण उत्पन्नन नही हुआ है। अतः अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब अनुसार प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कथन वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र विचाराधीन होना सही है, शेष कथन गलत है एवं ठोस रूप से अस्वीकार है। पेरा संख्या 2 में वर्णित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पेरा संख्या 3 से 9 में वर्णित कथन गलत है व ठोस रूप से अस्वीकार है। साथ ही निवेदन किया गया कि वादग्रस्त सम्पत्ति सहदायिकी की सम्पत्ति होकर संयुक्त कब्जे स्वामित्व में चली आ रही है, पैतृक सम्पत्ति है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र शामिल पत्रावली किये जाकर पत्रावली शहादत वादी में नियत की गई। शहादत वादी हेतु कई बार अवसर दिये गये। 1000/– रूपय की कोस्ट पर भी अवसर दिया गया। प्रार्थी द्वारा शहादत वादी प्रस्तुत किये जाने से इन्कार किया एवं पत्रावली में बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र संख्या 95/2018 उनवान सुरेश बनाम सीमा वगैरह में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2018 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 को पाबन्द किया गया था कि ग्राम ज़ाल का खेडा की आराजी खसरा नम्बर 595, 599, 600, 601, 602, 603 पर प्रार्थी के कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। बावजूद माननीय न्यायालय के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में प्रवेश करके बीज बुआई करके माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। जो दण्डनीय है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कराया जावे एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 को माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की अवहेलना करने हेतु सिविल कारावास से दण्डित किया जाकर आराजीयात से बैदखल किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपने जवाब प्रार्थनापत्र के तथ्यों का वर्णन किया गया एवं तर्क दिया गया कि पत्रावली दिनांक 19.05.22 को शहादत वादी हेतु नियत की गई थी। उसके उपरान्त प्रार्थी को शहादत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने एवं दिनांक 18.01.2023 को 1000/– रूपये के कोस्ट पर अवसर दिये जाने के बाद भी वादी ने किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की। यहां तक कि अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किये गये है। प्रार्थी का यह कृत्य पूर्णतया उदासीन व उपेक्षापूर्वक रहा है। मात्र वाद दायर करने से कुछ नही होता है जब तक कि सक्षम साक्ष्य द्वारा वाद को साबित नही किया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण में कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है, अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने का भार प्रार्थी पर होता है, लेकिन प्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है तो प्रार्थनापत्र प्रार्थी द्वारा ना तो साबित किया गय है और ना ही स्वीकार योग्य है। प्रकरण में प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रतिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आदेश 39 नियम 2 ए जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

विस्तृत आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner